

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक १६९५ विधि

सहरसा, दिनांक १०-९-२०२३

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं०-१०४/२०२२ में दिनांक-२७.०९.२०२३ को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- रेणु देवी, पति-उपेन्द्र कुमार / प्रीति कुमारी, पति-चन्दन कुमार, सभी सा०-कोयला, वार्ड नं०-११, पंचायत-सत्तौर, प्रखंड-नवहट्टा, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

सा०-कोयला, वार्ड नं०-११, पंचायत-सत्तौर, प्रखंड-नवहट्टा, जिला-सहरसा के द्वारा न्यायालय समाहर्ता/जिला पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी अपीलवाद सं०-१३/२०२० में दिनांक ०४.०७.२०२२ को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।


दिनांक १९.०९.२०२३ को सुनवाई के क्रम में वाद को आदेश पर लिया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु पत्रांक ९९० दिनांक ०५.०४.२०१६ से निर्गत विभागीय मार्गदर्शिका, २०१६ यथा संशोधित पत्रांक २२२२ दिनांक २५.०६.२०१८ के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, २०१६ की कंडिका-१३ में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध ३० दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-१७८० दिनांक ०५.०३.२०२० से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवारों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका


आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक
 जिला....., सं0....., सन् 99.....
 केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 9	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3
27/09/2023	<p style="text-align: center;">न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-104/2022</p> <p style="text-align: center;">- रेणु देवी.....पुनरीक्षणकर्ता</p> <p style="text-align: center;">-बनाम-</p> <p style="text-align: center;">राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट</p> <p style="text-align: center;">-:: आदेश ::-</p> <p>प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद रेणु देवी, पति-उपेन्द्र कुमार, सा0-कोयला, वार्ड नं0-11, पंचायत-सत्तौर, प्रखंड-नवहट्टा, जिला-सहरसा के द्वारा न्यायालय समाहर्ता/जिला पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-13/2020 में दिनांक 04.07.2022 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।</p> <p>दिनांक 19.09.2023 को सुनवाई के क्रम में वाद को आदेश पर लिया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु पत्रांक 990 दिनांक 05.04.2016 से निर्गत विभागीय मार्गदर्शिका, 2016 यथा संशोधित पत्रांक 2222 दिनांक 25.06.2018 के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका</p>	

के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।” उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।


27/9/23.
प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।


27/9/23
प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा